

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्य प्रदेश


क्रमांक/स्था 2/सी/व्या/स्था/76/09/1035

भोपाल, दिनांक 26/8/06

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा नियुक्त व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में आंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।  
2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पावता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का आईस कोड	स्थानान्तरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का आईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती प्रीती शर्मा व्याख्याता (अंग्रेजी)	अप्राप्त	शासन स्कूल, पल्लारा जिला टीकमगढ़	23080477701	शासन कउमावि जतारा जिला टीकमगढ़	23080277701



आयुक्त

लोक शिक्षण मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 26/8/06

पृष्ठ क्रमांक/स्था.2/सी/व्या/स्था/76/09/1036

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, मान. मुख्य मंत्रीजी मंत्रालय, मध्य प्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप अ एचसीएम/770/09, दिनांक 25.8.09 के क्रम में सूचनाएं प्रेषित।
2. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. कलेक्टर जिला टीकमगढ़।
5. मुख्य कार्यालय अधिकारी जिला टीकमगढ़।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मंत्रालय, भोपाल।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला टीकमगढ़।
8. जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ को सूचित कर अवगत कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्ण राशि अभिलेख से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विद्यमान में संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है। पूर्ण रूप से आश्वर्य होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की नगद एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत कराये। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश का क्रियान्वहन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाय। सुनिश्चित करे एवं संबंधित से स्वयं का संस्था प्रधान से प्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संचालनालय को तत्काल भेजे।
9. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनाएं सूचनाएं प्रेषित।
10. संबंधित की ओर सूचनाएं प्रेषित।



आयुक्त

लोक शिक्षण मंत्रालय